सं0-1419/62-2-2014-2/3(21)/2014

प्रेषक,

डा0 सूर्य प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई संबंधित प्रखण्ड,

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनउ- दिनांक- 20 जून,2014

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-83 (एस0सी0एस0पी0) के अधीन लघु सिंचाई योजनान्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिग चेकडैमों का निर्माण हेतु लेखानुदान के माध्यम से बजट प्राविधान के सापेक्ष प्रथम चार माहों हेतु धनराशि का आवंटन। (जिला योजना)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र सं0-जी-404/ल0सिं0/बजट-SCSP/TSP/2014-15, दिनांक 28-04-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्राउण्ड वाटर चार्जिग चेकडैमों का निर्माण हेतु लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-300.00 लाख के सापेक्ष प्रथम चार माहों हेतु धनराशि रू0-100.00 लाख (रूपया एक करोड मात्र) को संलग्न विवरणानुसार महामहिम राज्यपाल आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत पठारी क्षेत्रों में गहरी बोरिंग की योजना में एस0सी0एस0पी0 के कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराये जाने के लिए व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के स्थाई/अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(2) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(3) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि

http://shasanadesh.up.nic.in

तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(4) चेकडैम निर्माण का कार्य 50 प्रतिशत धनराशि मनरेगा से डबटेल करके ही की जायेगी तथा कोई भी चेकडैम निर्माण कार्य बिना मनरेगा से डबटेल किये नही की जायेगी।

(5) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल पर ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता होतो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(5) प्रत्येक बोरिंग के साथ ही कम से कम 25 पेड्, जो किसान स्थानीय स्तर पर अपने लिए उपयोगी समझे, लगाये जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(6) प्रश्नगत योजना मे प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियॉ विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष/विभागीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जनपदवार फॉट तैयार करते हुए इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि यथासमय जिला सेक्टर योजनाओं के लिए जनपदवार/योजनावार परिव्यय के निर्धारण के बाद आवश्यकतानुसार समायोजन करते हुए संशोधित की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि से भिन्न परिव्यय जनपद विशेष में आता है तो तदनुसार यथासमय स्वीकृतियॉ संशोधित कर ली जायेंगी।

(7) इस योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में विभाग द्वारा क्षेत्र विशेष का चिन्हांकन करते हुए प्रोजेक्ट के रूप में परियोजना प्रस्तुत की जायेगी। इस संबंध में यह भी सुनिश्चित/पुष्टि किया जायेगा कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र विशेष में अन्य विभागों द्वारा ग्राउण्ड वाटर चार्जिग चेकडैम निर्माण योजना संचालित नहीं है। इस प्रकार से प्रस्तुत परियोजना पर व्यय शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा।

(8) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों तक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

1-मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-प्रारम्भिक व्यायाधिक्य तथा बचत विवरण	15-10-2014 तक
3-व्यायाधिक्य तथा बचट का अंतिम विवरण्	15-12-2014 तक
4-वर्ष 2014-15 के आवंटन का अंतिम लेखा	15-02-2015 तक

http://shasanadesh.up.nic.in

विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो

5-आवंटन का समर्पण 15-03-2015 तक

नोट:- दिनांक 15-03-2015 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

(9) तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 के अधीन **"लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई द्वारा पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-06-लघु सिंचाई योजनान्तर्गत ग्राउन्ड वाटर चार्जिंग चेकडैमों का निर्माण (जिला योजना)-24--वृहद निर्माण कार्य"** के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14-03-2014 तथा बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण के पत्र सं0-417/26-ब0प्र0/2014, दिनांक 29-03-2014 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

ह0/

(डा0 सूर्य प्रताप सिंह)

प्रमुख सचिव।

सं0-1419(1)/62-2-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग उ0 प्र0 लखनऊ।
4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- संबंधित जिलाधिकारी।
6- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त् जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिचाई विभाग।
8- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
13- एन0आई0सी0 की प्रति।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in